सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 395
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग

300, नवीन पुस्तकालय भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 05 जनवरी, 2024

विषय: अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को आयोजित 154वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 154th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 20 December, 2023 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को पूर्वाहन 10.30 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 154वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>**संलग्नक**</u> : यथोक्त

भवदीया,

5/1/2024
(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

<u>केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.12.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित 154वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 154वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम इस बैठक में अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 154वीं बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे या जो टिप्पणियां की गई थीं उनपर इस बैठक में विचार किया जाएगा और इसके अलावा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और उसमें हुई प्रगति का विश्लेषण किया जाएगा।

तत्पश्चात, उप निदेशक (रा.भा.) महोदया ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरू की। सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक 29 सितंबर, 2023 को हुई थी और उसके कार्यवृत्त 25 अक्तूबर, 2023 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए थे। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। सदस्य सचिव महोदया ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछली बैठक में की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा शुरू की।

1. केंद्रीय जल आयोग के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और कार्यशाला का आयोजन न किए जाने पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में आयोजन संभव न हो पाए तो मुख्य अभियंता कार्यालय,राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जोड़ सकते हैं।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

2. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल तथा उन पदों पर भर्ती एवं इस प्रक्रिया के पूरी होने तक वार्षिक आधार पर कंसल्टेंटों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय निदेश दिया कि इस संबंध में स्थापना-7 अनुभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मंत्रालय को स्थापना-7 अनुभाग द्वारा तुरंत इस संबंध में पत्र भेजा जाए और इसको आगे फॉलोअप (अनुसरण) भी किया जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.)

3. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिंदी अनुभाग में नई भर्ती के माध्यम से सेवा ज्वाइन करने वाली कनिष्ठ अनुवादक के संबंध में चर्चा के दौरान, सचिव महोदय ने उल्लेख किया कि संबंधित कार्मिक की स्थापना-9 अनुभाग में तैनाती की गई है। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि स्थापना-9 अनुभाग में वैकल्पिक व्यवस्था कर, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं राजभाषा कर्मी को तुरंत हिंदी अनुभाग में तैनाती दी जाए। क्योंकि, इससे उनके पद का अधिदेश (मैंडेट) पूरा होता है और उनके कौशल (स्किल) का उपयोग होता है।

(कार्रवाईः स्थापना-9 अनुभाग, के.ज.आ.)

4. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि पिछली बैठक में तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, मुख्य अभियंता महोदय ने आदेश दिया था कि हिन्दी अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा करते हुए वर्तमान तिमाही के आंकड़ों की तुलना पिछली तिमाही के आंकड़ों से करने के बजाय, पिछले वित्तीय वर्ष के औसत आंकड़ों से की जाए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि तुलनात्मक समीक्षा करते हुए औसत आंकड़ों के साथ-साथ पिछली तीन तिमाही के आंकड़े भी संदर्भ के लिए रखे जाएं।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

5. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में मूल पत्राचार,धारा 3(3), नियम 5 और अन्य राजभाषा नियमों के अनुपालन पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा नियमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा पत्राचार के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों संबंधी सूचना को परिचालित किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

6. केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी शब्दावली के नवीन अद्यतित संस्करण को तैयार करने पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि हिन्दी अनुभाग द्वारा अपने स्तर पर शब्द संकलित कर तकनीकी शब्दावली को 01 फरवरी, 2024 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए।

(कार्रवाईः निदेशक (तकनीकी समन्वय/हिंदी अनुभाग

7. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के विभिन्न अनुभागों के राजभाषायी निरीक्षण के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों का प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किया जाए जिसमें संबंधित अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति व नियमों के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय ने केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा हिंदी के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निदेश देते हुए स्पष्ट किया कि हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक सुस्पष्ट कार्ययोजना हो और हम सब मिलकर सही दिशा में प्रयास करें। साथ ही, केंद्रीय जल आयोग की आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित 154वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक (तकनीकी समन्वय), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	सुनील कुमार, निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना सम.निदे., के.ज.आ.	सदस्य
5.	सुनील कुमार, निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
6.	आनंद चन्द्र मल्लिक, निदेशक (स्थापना-3), के.ज.आ.	सदस्य
7.	राकेश टोटेजा, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	शरदेन्दु झा, निदेशक, डब्ल्यूएसई, के.ज.आ.	सदस्य
9.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, स्थापना, के.ज.आ.	सदस्य
10.	अनंत गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	वी कुमारी, उपनिदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	अवधेश कुमार, उपनिदेशक, सं.प्र. निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
13.	आर.के.शर्मा, उप निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
14.	धर्मेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी, के.ज.आ.	सदस्य
15.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग